

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 18/2022

प्रार्थी

नोनाराम पुत्र दरगाजी, जाति- कलबी, निवासी- कृष्णगंज, तहसील व जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, कृष्णगंज जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, कृष्णगंज, तह. व जिला-सिरौही
2. मरगादेवी पत्नी जेतारामजी, जाति-कलबी, निवासी-कृष्णगंज, तह. व जिला-सिरौही

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

- (1) अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
- (2) अधिवक्ता श्री नरेश पुरोहित, अप्रार्थी संख्या: 1 (एक)
- (3) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या: 2 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 06 सितम्बर, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी मरगादेवी पत्नी जेताराम, निवासी-कृष्णगंज के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 10.12.2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, कृष्णगंज से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गईं। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (ग्राम पंचायत, कृष्णगंज) की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश पुरोहित उपस्थित हुये व अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कृष्णगंज की ओर से जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये व अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब पेश किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र चौधरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत कृष्णगंज द्वारा आबादी भूमि में से रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन दिनांक 10.12.2019 को अप्रार्थी संख्या 02 के हक में कर उक्त भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया है जो विधि विरुद्ध तरीके से आवंटित कर जारी किया है। उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में प्रार्थी का कब्जा व हक अधिकार था एवं उक्त भूखण्ड प्रार्थी के कब्जे व हक अधिकार का है। प्रार्थी के कब्जे हक अधिकार के भूखण्ड की चतुर्दशी व नाप उत्तर में बाबुजी लौहार का प्लोट, दक्षिण में जेताराम कलबी का मकान, पूर्व में गली व पश्चिम में आम रास्ता व दरवाजा है तथा नाप उत्तर-दक्षिण 54 फीट व पूर्व-पश्चिम 50 फीट कुल क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट है। इसी भूखण्ड का ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित किया है, जबकि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के भाई का पिछले 50 वर्षों से कब्जा व हक अधिकार था तथा प्रार्थी के परिवार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 से मेल मिलाप कर ग्राम
.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)



पंचायत में प्रस्ताव लिये बिना ही उक्त पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह कि उक्त भूखण्ड पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 का निवास नहीं रहा है एवं न ही अप्रार्थी संख्या 2 का कोई मकान उक्त भूखण्ड पर निर्मित है तथा वर्तमान में भी उक्त भूखण्ड पर मौके पर खाली पड़ा है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 में विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना उक्त भूखण्ड जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 के ग्राम कृष्णगंज में कई मकान आये हुए हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 साधन सम्पन्न महिला हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवार को निःशुल्क पट्टा जारी किया हुआ है। इस प्रकार, अप्रार्थी संख्या 2 नियमानुसार रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्र नहीं थी। यह कि कृष्णगंज ग्रामदानी गांव होने के कारण ग्रामदानी ग्राम में भूमि के संबंध में सम्पूर्ण हक व अधिकार ग्रामदान अध्यक्ष को होते हैं बावजूद इसके ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है जिसको जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया था न ही किसी भी प्रकार के कोई नोटिस जारी किये गये हैं एवं विधि के अन्य आज्ञापक प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई तथा स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान भी लेखबद्ध नहीं किये गये हैं। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त पट्टा विलेख ग्राम पंचायत के सरपंच व अन्य लोगों से मेल मिलाप कर जारी करवाया है इसलिए ऐसे विधि विरुद्ध पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 10.12.2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 (मरगादेवी) के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने अप्रार्थी संख्या-2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम कृष्णगंज में अप्रार्थी संख्या 2 का पुराना कब्जा व कच्चा केलुपोश का मकान होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन कर पट्टा जारी किया है। निगरानी आवेदन में भूखण्ड की प्रार्थी ने वही चतुर्दशी व नाप अंकित किया है जो प्रश्नगत पट्टे में अंकित किया हुआ है, जिसका ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया है व जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है उस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या-2 के पति का व उससे पूर्व उनके ही परिवार का कब्जा व कच्चा केलुपोश का मकान बना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार नियम 157(2) के तहत महिला मुखिया के नाम से पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह कथन किया है कि जिस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को जारी किया है उस पर प्रार्थी के भाई का कब्जा है, वहीं दूसरी तरफ प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में प्रश्नगत भूखण्ड पर स्वयं का कब्जा होना बताया है। इस प्रकार, प्रार्थी स्वयं ने निगरानी आवेदन में विरोधाभासी कथन किये हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि जिस जगह का पट्टा जारी किया है उस पर प्रार्थी या उसके भाई का कब्जा था, इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या-2 के परिवार का पुराना कब्जा होने के आधार पर ही ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार पट्टा जारी किया है। जिस भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है उस पर अप्रार्थी संख्या 2 का ही पुराना कब्जा व हक अधिकार होने के कारण ही ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा नियम 157(2) के तहत पात्रता व कब्जे व उस पर केलुपोश का कच्चा आवासीय गृह बना होने की जांच करके विधि अनुरूप महिला मुखिया के नाम से पट्टा जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 व उसके पति के पास प्रश्नगत पट्टे

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



की भूमि के अलावा अन्य कोई आवासीय भूमि व गृह नहीं होने से ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया है। यह कि कृष्णगंज ग्रामदानी ग्राम अवश्य है, परन्तु राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1994 लागू होने के बाद ग्रामदानी बोर्ड को उस क्षेत्र की आबादी भूमि के संबंध में किसी प्रकार के कोई हक अधिकार नहीं रहे हैं एवं आबादी भूमि संबंध में पूर्ण हक अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त होने से ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में रहकर अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा ग्राम पंचायत, कृष्णगंज में पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 03.7.2019 को आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया है, जिसकी प्रार्थी निगरानीकार को प्रारम्भ से ही जानकारी है। प्रश्नगत पट्टे के भूखण्ड पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार या स्वामित्व नहीं है, न ही प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थी के पडौस में है तथा न ही प्रश्नगत भूखण्ड से प्रार्थी को कोई लेना देना है। इस प्रकार, प्रार्थी को यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने का विधि अनुसार कोई अधिकार नहीं होने है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (ग्राम पंचायत, कृष्णगंज) के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता के कथनों की ताईद करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त प्रश्नगत पट्टे की आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या-2 का वर्ष 2003 से पूर्व का पुराना कब्जा होकर कच्चा केलुपोश मकान बना होने के कारण अप्रार्थी संख्या-2 के आवेदन पर ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों व प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या-2 के व उसके परिवार/पति के पास अन्य कोई आवासीय गृह व भूखण्ड नहीं होने के संबंध में पात्रता व कब्जे की पुष्टि व कच्चे गृह की जांच करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुरूप है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी मरगादेवी पत्नी जेताराम, जाति- कलबी, निवासी- कृष्णगंज के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 16 दिनांक 10.12.2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत, "ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोपडी/कच्चे-गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा, ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।"

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार का कथन यह है कि "उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में प्रार्थी का कब्जा व हक अधिकार था एवं उक्त भूखण्ड प्रार्थी के कब्जे व हक अधिकार का है।" प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह भी कथन किया है कि "अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित किया है, जबकि उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के भाई का पिछले 50 वर्षों से कब्जा व हक अधिकार था तथा प्रार्थी के परिवार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या: 2 को पट्टा जारी किया गया है।" लेकिन प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित उक्त कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या: 2 (दो) के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया है, उस भूमि पर प्रार्थी निगरानीकार अथवा प्रार्थी निगरानीकार के भाई का कब्जा रहा हो। प्रार्थी निगरानीकार

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या: 2(दो) का वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोंपड़ी/कच्चे-गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा नहीं रहा हो। प्रार्थी निगरानीकार ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या: 2 (दो) के पक्ष में कब्जे रहित खुली भूमि (open land) का पट्टा जारी किया गया हो। जबकि अप्रार्थीगण के कथनानुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या-2 (दो) का वर्ष 2003 से पूर्व का कब्जा होकर उस पर कच्चा केलुपोश गृह बना हुआ होने से पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी संख्या-2 व उसके पति के पास प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड के अलावा अन्य कोई आवासीय गृह अथवा भूखण्ड पूर्व से ही उपलब्ध हो।

चूंकि प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पट्टा जारी करने में क्या व किस स्तर पर अनियमितता बरती गई है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के आवेदन पत्र पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों व विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए व पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित करके अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियमों के अर्न्तगत पंचायत की आबादी भूमि में व्यक्तियों के पुराने गृहों व कब्जों को विनियमितीकरण करने तथा पात्र व्यक्ति को भूमि का निःशुल्क/रियायती दर पर आवंटन करने का ग्राम पंचायत को अधिकार प्रदत्त है। इस प्रकार, प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06 सितम्बर, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही